संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी,भोपाल म.प्र.-462016
E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/3507/वि.यो./जबलपुर-उपांतरण/नग्रानि/2024 भोपाल, दिनांक 09/08/2024

जबलपुर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1.आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र.
2.कलेक्टर, जिला जबलपुर, म.प्र.
3.आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर, म.प्र.
4.संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

जबलपुर विकास योजना, 2021 के अध्याय -4 की कंडिका 4.2 (क्षेत्राधिकार) के बिन्दु क्रमांक 14 के पश्चात निम्नानुसार बिन्दु अंत: स्थापित किया जाना प्रस्तावित है : -

15. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे, उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।
16. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(श्रीकांत बनोठ)
वि.क.अ. सह-आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश